(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEVELOPMENT DEPARTMENT)
DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING
49, SHAM NATH MARG, DELHI-110 054

Dated: the..12|.6.| 2014

NOTIFICATION

No. F 8 (8)/2011/DAM/MR/ 878 . – Wheareas, vide notification No. F 8 (13)/93-DAM/MR/4178 dated 03.08.1998, Hon'ble Lt. Governor, Delhi was pleased to constitute a marketing committee with the name "Flower Market Committee, Mehrauli" for regulating the marketing of "Flowers" an Agricultural Produce pertaining to item no. XV "Horticultural" included in the Schedule annexed to the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1976 (No.87 of 1976).

Whereas, vide notification no. F. 8(8)/2011/DAM/MR/9612 dated 01.08.2011, an area measuring 1.5 acre at IFC, Gazipur has been declared as principal market of Flower under sub-section (2) of section 23 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998, in respect of agricultural produce mentioned in Schedule-I and having market area as mentioned in Schedule-II of the said notification.

In exercise of the powers conferred by section 37 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No. 7 of 1999), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby changes the name of the said flower market committee from "Flower Market Committee, Mehrauli" to "Flower Marketing Committee, IFC Gazipur".

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE
LT. GOVERNOR OF THE NATIONAL CAPITAL
TERRITORY OF DELHI,

12.06.14
(V. P. RAO)
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI

No. F 8(8)/2011/DAM/MR/ 879-891 Dated: 12/6/2014

Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi
2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad
3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi
4. The Principal Secretary-cum-Commissioner Development, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
5. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
6. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
7. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra-Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
8. Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi/New Delhi and Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi, Khoya/Mawa Marketing Committee, Delhi and Flower Marketing Committee, Delhi.
9. The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi
10. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi
11. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi
12. All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
13. Guard file.

12.06.14

(V. P. RAO)
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग–4 में प्रकाशनार्थ)
कृषि विपणन निदेशालय
(विकास विभाग)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

दिनांक : 12/6/2014

अधिसूचना

सं. एफ 8(8)2011/डी0ए0एम0/एम0आर0/878 .–जबकि दिनांक 03.8.1998 की अधिसूचना संख्या एफ0 8(13)/93– डी0ए0एम0/एम0आर0/4178 के अनुसार दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली द्वारा उत्पाद विपणन (विनियम) अधिनियम, 1976 (1976 की संख्या 87) के साथ संलग्न अनुसूची में सन्निविष्ट मद संख्या XV "बागवानी" से संबंधित एक कृषि उत्पाद "पुष्प" के विपणन को विनियमित करने के लिये "पुष्प मंडी समिति, महरौली" नामक विपणन समिति गठित की थी।

जबकि दिनांक 01.08.2011 की अधिसूचना संख्या सं0एफ0 8/8/2004/डीएएम/एमआर/9612 के अनुसार आईएफसी, गाजीपुर स्थित 1.5 एकड क्षेत्रफल उक्त अधिसूचना की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित कृषि उत्पाद और द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अधिसूचना–1 वाले कृषि उत्पाद के मंडी क्षेत्र, दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियम), अधिनियम, 1998 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रमुख पुष्प मंडी के रूप में घोषित किया था।

दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियम) अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम संख्या 7) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा उक्त पुष्प मंडी समिति "पुष्प मंडी समिति, महरौली" का नाम बदल कर "पुष्प विपणन समिति, आईएफसी गाजीपुर" रखते हैं।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

(वी. पी. राव)
विशेष सचिव (विकास)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं. एफ 8(8)2011/डी0ए0एम0/एम0आर0/ 879-891 दिनांक : 12/6/2014

प्रतिलिपिः–

1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।

3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।

4 प्रधान सचिव (विकास), दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।

5 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

6 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।

7 उप–सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग–4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति).

8 कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली/नई दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, खोया/मावा विपणन समिति, दिल्ली एवम पुष्प विपणन समिति, दिल्ली।

9 उप–सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

10 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

11 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।

12 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।

13 गार्ड फाईल।

(वी. पी. राव)
विशेष सचिव (विकास)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार